

मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-310

उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी
आदि की जब्ती संबंधी निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

01 मार्च से 20 मई तक कुल 42982.53 लाख रुपये कीमत की शराब,
ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी जब्त की गयी

20 मई को कुल 62.63 लाख रुपये कीमत की शराब,
ड्रग व नकदी जब्त

दिनांक 21 मई, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा 01 मार्च से 20 मई, 2024 तक कुल 42982.53 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किये गये। इसमें 3440.63 लाख रुपये नकद धनराशि, 5459.13 लाख रुपये कीमत की शराब, 23564.68 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2294.24 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं, 5413.50 लाख रुपये कीमत के मुफ्त उपहार एवं 2810.36 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।

आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा 20 मई, 2024 को कुल 62.63 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त की गई। इसमें 3.73 लाख रुपये नकद धनराशि, 28.99 लाख रुपये कीमत की 10967.76 लीटर शराब, 21.38 लाख रुपये कीमत की 23606.62 ग्राम ड्रग, 8.24 लाख रुपये कीमत के 7633 मुफ्त उपहार एवं 0.29 लाख रुपये कीमत की 288 अन्य सामग्री जब्त की गयी।

20 मई, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद लखनऊ की लखनऊ उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 15.90 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 5300 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी।
